मद्रास हाई कोर्ट ने जीएसटी अथॉरिटी को निर्देश दिया कि ASSESSEE को TRAN-1 अपलोड का मौका दिया जाए।

M/s Anand Distributors के पास दिनांक 01/07/2017 को Assesse के पास Rs.503202 की क्रेडिट थी लेकिन assessee द्वारा अनेक प्रयासों के बावजूद भी assessee technical glithes (तकनीकी समस्या) के कारण TRAN-1 फाइल नहीं कर सका। assessee ने Assistant Commissioner को representation दिया लेकिन Assistant Commissioner ने assessee की request यह कहते हुए खारिज कर दी कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सिस्टम में कोई खराबी है।

Assesse द्वारा इस issue में रिट पिटिशन दायर की गई जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि तकनीकी समस्याओं के सबूत देना assesse की जिम्मेदारी नहीं है **एवं** जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को streamline करने के लिए लाया गया था लेकिन RULE 117 के कारण काफी litigation बढ़ा है तथा जीएसटी के purpose को defeat कर दिया है केस में मद्रास हाई कोर्ट ने जीएसटी डिपार्ट्मन्ट को निर्देश दिया कि ASSESSEE को TRAN-1 फाइल करने का मौका दिया जाए एवं यह पूरी प्रक्रिया 8 सप्ताह में पूर्ण की जाए।